31

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

निगरानी

प्रकरण क्रमांक 96—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—11—2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 02/निगरानी/2000—01.

.....

1—गोपाल शरण तनय कौशल प्रसाद (मृत)
वरिसाना :—
अ—श्रीमती सतवंती पत्नी स्व0 श्री गोपाल शरण
ब—प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री गोपाल शरण
2—सतानन्द तनय कौशल प्रसाद
3—रामबहादुर तनय कौशल प्रसाद
निवासी ग्राम घुरेहटा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—मनबहोर तनय जगन्नाथ ब्रा0 (मृत)
वरिसाना :—
अ—भैरालाल पुत्र स्व0 मनबहोर
निवासी ग्राम घुरेहटा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0
2—राम निहोर तनय जगन्नाथ ब्रा0
3—कृष्ण कुमार तनय जगन्नाथ ब्रा0
4—रामभुवन तनय साधूराम ब्रा0
5—ब्रम्हानन्द तनय साधूराम ब्रा0
निवासीगण ग्राम घुरेहटा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदकगणसूचना उपरांत अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 04-04-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण कमांक 277/54–55 में पारित आदेश दिनांक 23.6.55 को विवादित अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया जिस आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्अर जिला रीवा के न्यायालय में दिनांक 4.4.2000 को स्व0 निगरानी प्रस्तुत की जिस पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण को पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपील स्वीकर की गई तथा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माने में महान कानूनी भूल की है कि किसी पक्षकार के आवेदन पर स्वप्रेरणा पर कोई ओदश निरस्त नहीं किया जा सकता जबकि यह बात सर्वथा गलत एवं विधि की मंशा के विपरीत है। क्यों कि राजस्व अधिकारी को ऐसे किसी भी अनुचित एवं अवैधानिक आदेश होने की जानकारी मिलने पर उन्हें स्वमेव निगरानी के अधिकार हैं का प्रयोग कर निगरानी में निरस्त करने की अधिकारिता हैं और यही मंशा विधि की भी है और इसी मंशा को दृष्टिगत रखते हुये अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 29.9.2001 पारित किया गया है जो सर्वथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरकलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा की श्रेणी में न मानने में महान कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 30.6.55 को आदेश पारित किया था

वह बिना किसी आधार के था व ऐसा मानकर ही उसे निरस्त करने में प्रकरण को पुनः विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया था जिस आदेश में कोई भी अनियमितता व अवैधानिकता नहीं थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि जब अनावेदकगण को विवादित भूमि के स्वत्व का अन्तरण हुआ ही नहीं तो ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 30.6.55 अपने आप ही शून्य एवं प्रभावहीन था। जिसके संबंध में कहीं भी आपत्ति की जा सकती थी व उसे चुनौती दी जा सकती थी जिसमें म्याद की कोई ही बाधा नहीं मानी जा सकती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण की उभय पक्षों की सुनवाई एवं जांच बावत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था जो जांच प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये कराई जाना हर दृष्टि से न्यायोचित एवं आवश्यक था। जिससे यह सिद्व होता कि अनावेदक के हक में विवादित भूमियों का अंतरण न होने से नामांतरण हो ही नहीं सकता था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.11.05 निरस्त किया जाय तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2001 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक के पूर्वज बासुदेव राम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी तथा उनका नाम सन् 1924 की बन्दोवस्ती खतौनी में कास्तकार के रूप में अंकित होने का अभिवचन तर्क में किया गया तथा यह भी बताया गया है कि हितबद्व पक्षकार को बिना सुने आदेश पारित किया गया वह शून्यकरणीय होता है तथा इसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। स्वमेव निगरानी में उठाये गये मुददे सारभूत प्रकृति के प्रतीत होते है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क मानने योग्य है कि हितबद्व पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया आदेश शून्यकरणीय होता है। इस ओर अपर आयुक्त रीवा द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि हितबद्व पक्षकार को सुने बिना

एवं सन् 1924 की खतौनी में आवेदकगण के पूर्वज बासुदेव राम का नाम होने की जांच हेतु अपर कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण को तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा को प्रत्यावर्तित किया गया था और जो बिन्दु निर्धारित किये थे उनकी जांच होने में विधि प्रकिया पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः उनके द्वारा दिया गया आदेश उचित था, लेकिन इस आदेश को अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 21.11.2005 स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 02/निगरानी/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 21.11.05 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 284/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28.9.2001 यथावत रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर